न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

उपस्थितः श्री पवन कुमार शर्मा–II, उच्चतर न्यायिक सेवा,

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010032232019

परिवाद संख्या 146/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी।

बनाम

1–पुष्पा पाठक आयु 65 वर्ष पत्नी मगन बिहारी पाठक
2–उमेश पाठक आयु 40 वर्ष पुत्र अवधेश पाठक
3–सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक आयु 33 वर्ष पत्नी दीपक उर्फ उमेश पाठक
4–छोटू पाठक आयु 32 वर्ष पुत्र मगन बिहारी पाठक
5–मंजीत पाठक आयु 32 वर्ष पुत्र जनार्दन प्रसाद पाठक
निवासीगण मोहल्ला हमजापुरा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच।

.....अभियुक्तगण।

धारा–504, 506 भा०द०सं० व
धारा–3(1)(X) एस.सी./एस.टी.एक्ट,
थाना–दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच।

निर्णय

1– अभियुक्तगण पुष्पा पाठक पत्नी मगन बिहारी पाठक, उमेश पाठक पुत्र अवधेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक पत्नी दीपक उर्फ उमेश पाठक, छोटू पाठक पुत्र मगन बिहारी पाठक व मंजीत पाठक पुत्र जनार्दन प्रसाद पाठक, निवासीगण मोहल्ला हमजापुरा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच, का विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश अन्तर्गत धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा (1)(X) एस.सी./एस.टी एक्ट के आधार पर किया गया।

2– परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक , छोटू पाठक व मंजीत पाठक के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

3– परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत बयान धारा 200 द०प्र०सं० एवं साक्षीगण जगदम्बा पाण्डेय व रमाकान्त सोनी के बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक , छोटू पाठक व मंजीत पाठक को धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(X) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत तलब कर

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.08.03 11:30:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचारण हेतु आहूत किया गया।

4– संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि, परिवादिनी अनुसूचित जाति की है। दिनांक 25.03.2019 को परिवादिनी मकान बनाने हेतु ईटा की ढुलाई ठेलिया से करवा रही थी। रास्ते में कीचड़ फावड़ा से हटवाने लगी ताकि ठेलिय कीचड़ में न फंसे और मकान तक आसानी से पहुंच सके। इसी बात को लेकर विपक्षीगण एकराय होकर मजमा खिलाफ कानून बनाकर आये और तमाम जातिसूचक विपक्षीगण गन्दी–गन्दी गाली देने लगे। मना करने पर ढकेल दिया। परिवादिनी को चोटें आयी है। विपक्षीगण ने परिवादिनी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हए जान स मारने एवं मोहल्ले से उजाड़ देने की धमकी दी।

5– परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत बयान धारा 200 द०प्र०सं० एवं साक्षीगण के बयान धारा 202 द०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक ,छोटू पाठक व मंजीत पाठक को धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3 (1)(X) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत विचारण हेतु आहूत किया गया।

6– अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक, छोटू पाठक व मंजीत पाठक के विरूद्ध दिनांक 06.07.2026 को धारा 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3 (1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इन्कार कर विचारण की माँग की गयी।

7– अभियोजन/परिवादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में पी०डब्लू०–1 सविता देवी को शपथ पर परीक्षित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में <u>प्रदर्श क–1 परिवाद पत्र</u> के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की तरफ से अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया।

9– परिवादिनी के साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त, अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० (धारा 313 द०प्र०सं०) अंकित किया गया। बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० (धारा 313 द०प्र०सं०) में अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कहा है कि, मैं निर्दोष हूं। मैने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

10– मैनें विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि तथ्य के बिन्दु पर परीक्षित साक्षी द्वारा घटना के तथ्यात्मक पहलुओ तथा परिवाद को सम्बन्धित साक्षी द्वारा असंदिग्ध ढ़ंग से साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को सिद्ध दोष कर दण्डित किये जाने के तर्क रखे गये। जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया कि तथ्य के परीक्षित साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन न्यायालय में नहीं किया है, अभियोजन साक्षी के न्यायालयीन कथन परस्पर विरोधाभासी व अविश्वसनीय है।

12– न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पुष्पा

पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक ,छोटू पाठक व मंजीत पाठक पर लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा 504,506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13– अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक,छोटू पाठक व मंजीत पाठक पर अभियोग है कि, दिनांक 25.03.2019 को परिवादिनी मकान बनाने हेतु ईटा की ढुलाई ठेलिया से करवा रही थी। रास्ते में कीचड़ फावड़ा से हटवाने लगी ताकि ठेलिय कीचड़ में न फंसे और मकान तक आसानी से पहुंच सके। इसी बात को लेकर विपक्षीगण एकराय होकर मजमा खिलाफ कानून बनाकर आये और तमाम जातिसूचक विपक्षीगण गन्दी–गन्दी गाली दी।

14– अभियोजन की ओर से स्वयं परिवादिनी <u>सविता बतौर साक्षी पी०डब्लू०–1</u> के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''घटना आज से सात वर्ष पूर्व की है। मैं अनुसूचित जाति की चमार महिला हूं। मैं मेरा पति अंधा है और भिन्गा में सरकारी कर्मचारी है। मेरा और मुल्जिमानों के बीच में नाली है। नाली में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। मैं ईटा की ढुलाइ ठेलिया से करा रही थी। कीचड़ को फावड़ा से हटाने लगी थी उसी बीच मोहल्ले के तमाम लोगा एकत्र हो गये थे और उसी में कहा सुनी होने लगी उसी धक्का मुक्की में किसी ने मुझे ठकेल दिया दिया। उस समय मैं किसी को पहचान नहीं पायी थी। मोहल्ले वालों के अनुसार मैं पुष्पा पाठक, मंजीत पाठक,संध्या पाठक,कुबेर पाठक व छोटू पाठक के नाम से मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 156(3)द०प्र०सं० के लिए वकील साहब से मुलाकात की थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। वकील साहब को मैने नाली के पानी के बारे में बताया था। उसी पर मैने मुकदमा लिखवाया था। मुझे मुल्जिमान ने न तो ढकेला था। न ही जातिसूचक गालियां ही दी थी। प्रार्थनापत्र में क्या लिखवाया था मुझे नहीं मालूम। मैने प्रार्थनापत्र पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया। ''

15– अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मेरे व मुल्जिमानों के मकान के बीच एक गली है। मेरा व मुल्जिमानों का दरवाजा आमने सामने है। बरसात में पानी भर जाने के कारण मोहल्ले के तमाम लोग एकत्र हो गये थे। मुझको किसी ने जातिसूचक गालियां नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान और मेरा घर आमने सामने होने के कारण दबाव में आकर सही तथ्य नहीं बता रही हूं।

बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यह बात सही है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई जातिसूचक गाली नहीं दी है न ही मुझे जान माल की धमकी दी थी। दूसरों के कहने पर मुकदमा लिखा दिया था।

16– इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है इस प्रकार इस साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य विरोधाभासी है।

17– आपराधिक न्यायशास्त्र में अभियुक्त की निर्दोशिता की अवधारणा की जाती है। अभियोजन पक्ष को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **टीका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** AIR 174 SC 155 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन को अपना केस संदेह से परे साबित करना होता है। बचाव पक्ष की त्रुटियाँ तात्विक नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कालीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** AIR 1973 SC 2773 में यह अवधारित किया है कि प्रत्येक अभियुक्त

को तब तक निर्दोश होने की अवधारणा की जायेगी जब तक की अभियोजन पक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर ऐसी अवधारणा को खण्डित नहीं कर देता कि ऐसा अभियुक्त उस अपराध के लिए जिसका आरोप उसके विरुद्ध विरचित किया गया है, कारित करने का दोषी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अनिल कुमार** AIR **1988 SC 1998** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायाधीश को यह नहीं देखना होता है कि किसी निर्दोष को दण्डित किया जाये बल्कि यह कर्तव्य होता है कि वह यह देखे कि कोई दोषी व्यक्ति छूट न जाये। न्यायाधीश के दोनों कर्तेव्य महत्वपूर्ण है जिसे उसको निस्पादित करने चाहिए।

18– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक, छोटू पाठक व मंजीत पाठक पर लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस.सी./एस.टी.एक्ट के सम्बन्ध में तथ्य के परीक्षित अभियोजन साक्षी का न्यायालयीन कथन सत्य, सहज व विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचनोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक, छोटू पाठक व मंजीत पाठक पर लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस.सी./एस.टी.एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है एवं अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

19– अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण, विवेचित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक, छोटू पाठक व मंजीत पाठक के विरूद्ध धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(x) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत जो आरोप अधिरोपित किये गये हैं उन आरोपों को अभियोजन पक्ष अपने विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णता असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक, छोटू पाठक व मंजीत पाठक के विरूद्ध धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(x) एस. सी./एस.टी.एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद संख्या–146/2019, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच के मामले में अभियुक्तगण पुष्पा पाठक, दीपक उर्फ उमेश पाठक, सुधा उर्फ सन्ध्या पाठक, छोटू पाठक व मंजीत पाठक को धारा 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(x) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान उपस्थित रहने हेतु प्रस्तुत जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 481 बी०एन०एस०एस० (437ए द०प्र०सं०) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करे कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे आहूत

किया जाता है तो वे उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण द्वारा दाखिल बन्धपत्र व प्रतिभू निर्णय दिनाँक से 06 माह तक प्रवृत्ति रहेगा।

(पवन कुमार शर्मा II)
विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
दिनांकः 01.08.2026 बहराइच।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

(पवन कुमार शर्मा II)
विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
दिनांकः 01.08.2026 बहराइच।